आयोजन • आईआईटी इंदौर में होगी कार्यशाला, सभी विभाग और उद्यमियों को बुलाया

प्रदेश में 30-35 फीसदी ई-वेस्ट का ही निपटान, इसे बढ़ाने और इससे कमाई के तरीकों पर कल होगी चर्चा

भास्कर संवाददाता | इंदौर

देश-प्रदेश-शहरों में ई-वेस्ट का निपटान चिंता का विषय है। प्रदेश में निकलने वाले ई-वेस्ट में से 30 से 35 फीसदी का निपटान ही वैज्ञानिक तरीके से या रिसाइकलर एजेंसियां कर रही हैं। नीति आयोग के निर्देश पर पर्यावरण व प्रदूषण मंत्रालय, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग आईआईटी के साथ 7 नवंबर को इस मात्रा को बढ़ाने और इससे होने वाली कमाई के तरीकों पर विचार करेंगे। आईआईटी इंदौर में आयोजित कार्यशाला में सभी विभाग, उद्यमी, रिसाइकल और कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

देश में 2016 में ई-वेस्ट निपटान के नियम आने के बाद से इसमें लगातार बदलाव लाया जा रहा। 2022 से उत्पादक कंपनियों और बेचने वालों को

भी इसके निपटान की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में हर साल 12 से 15 हजार टन ई-वेस्ट निकलता है। इसमें से 4 से 5 हजार टन ही रिसाइकलर तक पहुंच रहा। शेष हिस्सा कबाड़ियों के हाथ में जा रहा, जिसका वे लोकल तरीके से निपटान कर रहे। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा। बड़ी आर्थिक हानि भी हो रही। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी और वैज्ञानिक संजय जैन के अनुसार ई-वेस्ट को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़कर इसका रिसाइकल कर उपयोगी बनाया जा रहा। यह आय का बड़ा साधन है। इससे कीमती धातुओं का पुनः उपयोग व संरक्षण भी होता है। इन सभी पहलुओं पर विचार के लिए 7 नवंबर को कार्यशाला की जाएगी। इसमें सीपीसीबी के प्रमुख अधिकारी, राज्य पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव, वैज्ञानिक और रिसाइकलर मौजूद रहेंगे।

कमाई का बड़ा खजाना ई-वेस्ट

ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, एसी आदि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा है। यह लगातार बढ़ता जा रहा। इसमें सोने, चांदी, कैडिमयम, तांबे जैसी धातुएं होती हैं। वहीं प्लास्टिक भी अच्छी ग्रेड का होता है। इनकी रिसाइकलिंग अच्छी कमाई का जरिया हो सकती है। निपटान की व्यवस्था नहीं होने से सही तरीके से निपटान नहीं हो पा रहा। प्रदेश में चार-पांच प्लांट ही हैं। कबाड़ियों के पास प्रोसेस की व्यवस्था नहीं होने से वे इन कीमती धातुओं का बड़ा हिस्सा फेंक देते हैं। कार्यशाला में इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।